न्यायालय : अवर न्यायाधीश,अरेराज तृतीय, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 350 / 2013
सीआइएस 406.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 16.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 20.05.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा अपने पास से कुछ कागजात दाखिल किया गया है जिसमें दिनांक 18.11.1989 का पक्का नकल वृक्षराय बनाम गणेश राय, वोटर लिस्ट का पक्का नकल, सर्वे हाल खतियान का पक्का नकल, मतदाता कार्ड मकान सं0 52, मोकदमा न0 19 / 50 में जगरनाथ मिश्र के गवाही का पक्का नकल, तपेशर राउत के गवाही का पक्का नकल, जयमंगल मिश्र के गवाही का पक्का नकल है सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

वादी की तरफ से अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि मामले में विलंब से कागजात दाखिल किया गया है और विलंब माफ करने का आवेदन नहीं दिया गया है यह कि समस्त दस्तावेज विवाद्यक गठित होने से पूर्व दिया जाना चाहिए । प्रतिवादी ने इन कागजात को कब दाखिल किया इसका भी उल्लेख नहीं है, वोटर लिस्ट कहा का है इसका भी जिक्र नहीं है एवं मतदाता कार्ड लोक दस्तावेज नहीं है अतः प्रतिवादी का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें 7 दस्तावेजों का जिक्र है । मामले में मतदाता कार्ड मकान न0 52 किस स्थान का है आवेदन में अस्पष्ट है वोटरलिस्ट किस गांव की है इस संबंध में आवेदन में नहीं दिया गया है अतः इन दोनों दस्तावेजो को प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है अन्य समस्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है चूंकि दस्तावेज काफी विलंब से दाखिल किए गए हैं अतः 1000रु खर्चे जो कि न्यायालय में जमा किए जाएंगे शेष दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह दस्तावेजों पर क्रमानुसार प्रदर्श सं0 अंकित करें। वाद दिनांक .....अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)